(294)

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–II

जयपुर, दिनांक 10/11/22

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:–स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु आरजीएचएस सुविधा के संबंध में।

संदर्भ:–आपका पत्र क्रमांक प.1(258)आरजीएचएस/सेव लेटर्स/22–23/2682 दिनांक 29.09.2022
एवं प.1(258)आरजीएचएस/सेव लेटर्स/22–23/2946 दिनांक 19.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि स्वायत्तशाषी संस्थाओं के पेंशनर्स/कार्मिकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

1. ऐसे संस्थान जिनके द्वारा समूह में एक साथ प्रीमियम जमा न करवाकर एक–एक कार्मिक का आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक प्रीमियम जमा करवाया जा रहा है, ऐसे लाभार्थियों को योजना का परिलाभ प्रीमियम जमा करवाने की तिथि से 3 माह पश्चात ही प्रारम्भ किया जावे।

2. ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक पेंशनर्स/कार्मिकों हेतु अंशदान जमा करवाते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, उनको ही योजना का परिलाभ प्रीमियम जमा दिनांक से एक वर्ष हेतु प्रदान किया जावे (पेंशनर्स को प्रीमियम जमा दिनांक से आजीवन योजना का लाभ प्रदान किया जावे) एवं कार्मिकों हेतु दूसरी बार में अंशदान जमा करवाने पर संबंधित संस्थान को पूर्व में जारी आरजीएचएस अवधि की सीमा में ही लाभ उपलब्ध करवाया जावे। यदि कोई संस्थान 50 प्रतिशत से कम लाभार्थियों के प्रस्ताव मय अंशदान प्रेषित करता है तो ऐसी स्थिति में अंशदान प्राप्ति के 3 माह पश्चात कार्ड एक्टिवेट किये जावे।

3. स्वायत्तशाषी संस्थाओं के द्वारा अपने कार्मिकों/पेंशनर्स को राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनर्स के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यय भार वहन करने के संबंध में उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस योजना ट्रस्टीशिप सिद्धान्त पर क्रियान्वित की गयी है, जिसमें राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए अंशदान से अधिक व्यय होने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। ऐसी स्थिति में ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों/पेंशनर्स पर होने वाले व्यय को भी पूर्णतया संबंधित स्वायत्तशाषी संस्थाओं के द्वारा ही वहन किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय
10/11/2022
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

F.5 (5) 20pt ii